न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–119/2016–17

सुधा झा बनाम राज्य

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
17/01/19	**आदेश** श्रीमती सुधा झा, पति नचिकेता झा, ग्राम–छाजन हरिशंकर, थाना–कुढ़नी, जिला–मुज्जफ्फरपुर हाल पता मुहल्ला–चाणक्यापुरक कॉ–ऑपरेटिव, चुल्हाईचक, थाना–रूपसपुर, जिला–पटना के द्वारा यह वाद अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा विविध वाद सं0 19/2016–17 में दिनांक–21.10.2016 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है। इस वाद में अंचलाधिकारी, दानापुर एवं हल्का कर्मचारी मौजा–जलालपुर को पक्षकार बनाया गया है। **आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि :–** 1. आवेदिका के द्वारा मौजा जलालपुर थाना नं0 22 खाता नं0 171 खेसरा नं0 408 रकवा 1364 वर्गफीट की खरीद दिनांक–29.04.2003 के निबंधित डीड द्वारा श्याम बहादुर सिंह एवं उनके तीन नाबालिग पुत्र रीतेश कुमार, अनिल कुमार वो दीपक कुमार से की गयी। खरीदगी के पश्चात आवेदिका के नाम से दिनांक–17.01.2006 को उक्त भूखण्ड के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। वर्ष 2009–10 तक लगान रसीद निर्गत है। 2. वर्ष 2013 में लगान जमा करने हेतु जब राजस्व कर्मचारी से सम्पर्क किया गया तो राजस्व कर्मचारी के द्वारा लगान लेने से इन्कार कर दिया गया तब दिनांक–13.06.2013 को इस संबंध में अंचलाधिकारी, दानापुर को आवेदन दिया गया। 3. अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा विविध वाद सं0 19/2016–17 के अन्तर्गत दिनांक–21.10.2016 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2008–09 के द्वारा आवेदिका के भूखण्ड पर लगान रसीद निर्गत करने से रोक लगा दी गयी है। आवेदिका अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में अपील कर सकते हैं। 4. दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2008–09 इन्दु सिंह बनाम उर्मिला देवी दाखिल खारिज वाद सं0 1785/2007–08 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। यह मामला लाल बहादुर सिंह एवं स्व0 विजय कुमार सिंह दो भाई की पत्नियों के बीच का है। आवेदिका के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड तीसरे भाई श्याम बहादुर सिंह से खरीदी गयी है। उक्त दाखिल खारिज वाद अथवा अपील वाद में न तो आवेदिका को न हीं उनके बिक्रेता श्याम बहादुर सिंह को पक्षकार बनाया गया। 5. खाता नं0 171 खेसरा नं0 408 का कुल रकबा 64 डी0 राम रतन सिंह का था। राम रतन सिंह के तीन पुत्र लाल बहादुर सिंह, विजय कुमार सिंह एवं राम बहादुर सिंह हुए। टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 130/1995 में दिनांक–02.03.2000 को पारित आदेश के अनुसार राम रतन सिंह एवं उनके पुत्रों को प्रश्नगत खेसरा में से 15–15डी0 हिस्सा मिला। शेष 04डी0 रास्ता के लिए छोड़ा	

गया। आवेदिका के द्वारा श्याम बहादुर सिंह से उनके हिस्से से 1364 वर्गफीट की खरीद की गयी।

6. आवेदिका के द्वारा विविध वाद सं0 19/2016–17 में दिनांक–21.10.2016 को अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने तथा प्रश्नगत भूखण्ड का लगान लेने हेतु आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

आवेदिका की तरफ से निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

1. दिनांक–29.04.2003 की डीड
2. दाखिल खारिज वाद सं0 1787/2005–06 का आदेश–फलक एवं जांच प्रतिवेदन, जिसमें आवेदिका के दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी।
3. वर्ष 2009–10 की लगान रसीद
4. दिनांक–13.06.2013 को अंचलाधिकारी, दानापुर को दिया गया आवेदन
5. दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2008–09 में दिनांक–26.02.10 को पारित आदेश
6. दाखिल खारिज वाद सं0 1785/07–08 में दिनांक–02.09.2008 का पारित आदेश
7. टाईटिल पार्टीशन सूट सं0 130/1995 में दिनांक–02.03.2000 को पारित आदेश
8. विविध वाद सं0 19/2016–17 में अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दिनांक–21.10.2016 को पारित आदेश एवं राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन

सुनवाई के क्रम में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा जमाबंदी रद्द वाद सं0 114/2013–14 उर्मिला शर्मा बनाम इन्दु देवी एवं जमाबंदी रद्द वाद सं0 05/2014–15 समीना देवी एवं अन्य बनाम इन्दु देवी में इस न्यायालय से दिनांक–01.12.2016 को पारित आदेश की छाया–प्रति उपलब्ध करायी गयी।

उक्त जमाबंदी रद्द वाद सं0 114/2013–14 एवं 05/2014–15 दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2008–09 में पारित आदेश को रद्द करने तथा अपनी जमाबंदी बहाल करने हेतु दायर किए गए थे। सुनवाई के उपरान्त दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2008–09 भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को रिमाण्ड करते हुए निदेश दिया गया था कि सभी पक्षकारों को सुनकर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

विविध वाद सं0 19/2016–17 में पारित आदेश के साथ संलग्न राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन में अंकित है कि उप समाहर्ता भूमि सुधार, दानापुर के ज्ञापांक–260 दिनांक–21.02.2012 एवं अंचलाधिकारी, दानापुर के ज्ञापांक 704 दिनांक–02.03.2012 से इन्दु सिंह बनाम श्याम बहादुर सिंह वो उर्मिला देवी से संबंधित चल रही सभी जमाबंदी को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

चूंकि दाखिल खारिज अपील वाद सं0 23/2008–09 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–26.02.2010 को पारित आदेश को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को रिमाण्ड करते हुए पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु कहा गया है। अतः इस वाद को भी भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को भेजते हुए पक्षकार को सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करने का आदेश दिया जाता है। आवेदिका सुझा झा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना पक्ष एवं साक्ष्य भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में रखें।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

17/1/19
(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

17/1/19
(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना